उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या :– 132/49/गोपन/जी0आई.सी–14/2015–16, दिनांक : 01 दिसम्बर, 2015

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **दिनांक 12 जून, 2015** को **घोषित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य/महिला शाखा परीक्षा–2014** स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम में **महिला शाखा** के अन्तर्गत विषय **संस्कृत** (पद कोड–10) हेतु 11 रिक्त पद के सापेक्ष सफल 34 अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रुप से सफल घोषित किया गया था। सन्निरीक्षणोपरान्त श्रेणी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत निर्धारित अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के सफल न होने की दशा में मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में केवल अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 04 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु मेरिट के अनुसार औपबन्धिक रुप से सफल घोषित किया जाता है–

SUBJECT: SANSKRIT (10) - FEMALE BRANCH

702905	704155	746462	752193

नोट–

1. उक्त सफल अभ्यर्थी दिनांक 16 **दिसम्बर, 2015** तक ऑन–लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति, शैक्षिक अर्हता, स्थाई निवास, आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व–सत्यापित कर आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

2. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑन लाईन आवेदन–पत्रों में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार परीक्षा/अंतिम चयन से पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम्

अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

3. सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से साक्षात्कार ज्ञाप प्रेषित नहीं किया जायेगा, अपितु साक्षात्कार ज्ञाप एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित किये जायेंगे, जिसको अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां भरने के पश्चात साक्षात्कार के समय समस्त अभिलेखों सहित उपलब्ध करायेगा।

4. उक्त घोषित परीक्षा परिणाम के पश्चात् प्रवक्ता विषय संस्कृत, महिला संवर्ग (अनुसूचित जाति) के दिनांक 12 जून, 2015 को जारी कट ऑफ मार्क्स 65.25 के स्थान पर संशोधित कट ऑफ मार्क्स 62.00 होगी।

(पी0सी0 डंडरियाल)
प्र0 सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष / मा0 सदस्यगण को मा0 अध्यक्ष / मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक / अपर सचिव विधि / वित्त नियंत्रक।
3. अनुभाग अधिकारी, सेवा–1 अनुभाग को इस आदेश के साथ कि उक्त 04 अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रपत्र एवं विवरण मंगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

01.12.2015
प्र0 सचिव